न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 51/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2017/00206

उनवान

पुरूषोत्तम पुत्र श्री पन्ना जाति छीपी निवासी ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामवती पत्नी नारायन सिंह
2. हेमा पत्नी दीनदयाल
3. रामकुमार पुत्र दीनदयाल
4. राजा पुत्र दीनदयाल
5. भगवती प्रसाद पुत्र नारायन सिंह

जाति छीपी निवासी ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर।

6. अनीता पुत्री दीनदयाल पत्नी बंटी राजपूत जाति छीपी निवासी मनिया हाल आबाद गोला कटाई वाले नाले के पास मथुरा तहसील व जिला मथुरा।
7. मन्नो पुत्री दीनदयाल पत्नी शालू राजपूत जाति छीपी निवासी मनिया हाल आबाद गली नम्बर 5 के पास वैरागपुरा कच्ची सडक मथुरा तहसील व जिला मथुरा।
8. रानी पुत्री दीनदयाल पत्नी सुरेनद्र कुमार जाति छीपी निवासी मनिया हाल आबाद गोविन्द की दुकान के पास नागराज कालौनी मथुरा तहसील व जिला मथुरा।
9. अमर सिंह पुत्र बीधाराम जाति छीपी निवासी ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर।
10. उत्तम सिंह पुत्र रामरतन जाति कुशवाह निवासी खेडा तहसील व जिला धौलपुर।
11. प्रधानाचार्य रामसेवक गर्ग राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरानी खेडा तहसील व जिला धौलपुर।
12. भगवान देवी पत्नी दाताराम
13. गिरीश कुमार
14. राजकुमार
15. शीला
16. विमलादेवी उर्फ वेवी
17. मिथलेश उर्फ रीना

पिस0 दाताराम जाति वैश्य नि0 ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर।

18. नीलम देवी पत्नी रामसेवक
19. आकाश पुत्र रामसेवक

20. शुभम
21. स्नेहा

पिसरान रामसेवक नाबालिगान सरपरस्ती मॉ नीलमदेवी पत्नी रामसेवक जाति वैश्य नि0 ग्राम खेडा तहसील व जिला धौलपुर।

22. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, मु0 धौलपुर दिनांक 04.07.2017 प्रकरण संख्या 75/2016 उनवानी परषोत्तम बनाम रामवती वगै0।

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 29.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2017 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2429 रकवा 01 बीघा 09 विस्वा वाके ग्राम खेडा तहसील धौलपुर में वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण/रैस्पो0 सहखातेदार काश्तकार हैं अतः विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कर दिया जावें। उक्त वाद, वादी/अपीलाण्ट ने तकनीकी कारण से विड्रा कर पुनः दावा पेश करने के लिये अनुमति लेतु हुये वापस ले किया। वादी/अपीलाण्ट ने पुनः अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया जो पक्षकारान की तलवी में विचाराधीन था एवं अग्रिम पेशी दिनांक 04.08.2017 नियत थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा अग्रिम पेशी दिनांक 04.08.2017 से पूर्व ही दिनांक 04.07.2017 को राजस्व कैम्प अदालत में, अपीलाण्ट की बैक पर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई विचार नहीं किया कि दिनांक 04.07.2017 को ना तो पत्रावली में पेशी थी एवं ना ही राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडा पर अपीलाण्ट उपस्थित ही आये। राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ना तो पक्षकारान उपस्थित ही हैं एवं ना ही उन्होनें कोई सहमति ही दी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2429 वाके ग्राम खेडा जमाबंदी संवत 2070 लगायत 2073 में अपीलाण्ट व रैस्पो0 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा उसकी किस्म चाही दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को कृषि भूमि ना मानते हुए आज्ञा जेर अपील देने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद यह था कि पक्षकारान के बीच विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बॅटवारा कर दिया जावें तथा जब तक बॅटवारा ना हो तब तक आराजी की यथा स्थिति बनाये रखी जावें। इस तथ्य यपर अदालत तहत ने कतई विचार नहीं करते हुये दावा अपीलाण्ट खारिज फरमा दिया, जो साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट की उपस्थिति गलत रूप से अंकित की है जबकि उक्त दिनांक को अपीलाण्ट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रमुख रूप से इस आधार पर कि दिनांक 13.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम पेशी दिनांक 04.08.2017 नियत की गयी थी। परन्तु, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियत पेशी दिनांक 04.08.2017 से पूर्व ही, उन्हें सूचित किये बिना प्रकरण दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडा में रखकर, उनकी उपस्थिति दर्ज करते हुए, उन्हें बिना सुने अन्तिम निस्तारण कर दिया। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.06.2017 का अवलोकन दर्शाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 04.08.2017 निर्धारित की थी। किन्तु अपीलाधीन आदेश इससे पूर्व दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई हेतु, जारी शुदा नोटिस तो पत्रावली में संलग्न हैं परन्तु अपीलाण्ट/वादी के नोटिस पर तामील कुनन्दा द्वारा पुरूषोत्तम का आगरा रहना बताया अंकित किया है। इस प्रकार अपीलाण्ट पर नोटिस तामील होना नही पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 04.07.2017 में अपीलाण्ट/वादी की उपस्थिती दर्शायी गयी है परन्तु अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट की उपस्थिति का कहीं अंकन नहीं है। इससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में, प्राकृतिक न्याय का पालन किये बिना पारित किया है।

5. हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में प्रतिवादीगण/रैस्पो0 की ओर से जवाव दावा प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की गयी है। विधि अनुसार जवाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकियात कायम की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात के अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी का दावा विवादित आराजी की प्रकृति वर्तमान में कृषि भूमि नहीं होना कहते हुए खारिज किया है। परन्तु, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखानुसार विवादित भूमि की किस्म चाही अंकित है। इस प्रकार भूमि, कृषि भूमि व दावा राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय यदि भूमि पर मकान, दुकान, विद्यालय इत्यादि के निर्माण से मौके पर स्थिति इतनी जटिल होना पाये कि विवादित भमि का विभाजन सम्भव ना हो, तो यथास्थिति प्रकरण छोड देना उचित नहीं है, विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकारो का अवसान अभिलिखित कराने हेतु पक्षकारो के विरूद्ध भू राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 1956 की धारा 90 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175, 177 अन्तर्गत सुसंगत विधियो में कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2017 अपास्त किये जातें हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है निर्णय में की गई विवेचना अनुसार, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर